महत्वपूर्ण

प्रेषक,

संख्या-2764/25-8-95-39/II/70

श्री मोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सचिव
एवं विशेष सचिव ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

गोपन अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 95

विषय:- आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने के विषय में समय-सीमा का निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकांशत: यह देखा गया है कि आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जाँचों में आपराधिक कृत्यों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध शासन के सम्बन्धित विभागों अर्थात प्रशासकीय विभागों से अभियोजन की शासकीय स्वीकृति काफी विलम्ब से मिलती है।

2- अत: शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जबकि ई0ओ0डब्लू0 की अन्तिम आख्या शासन के सम्बन्धित विभागों को प्राप्त हो जाय, उस तिथि के बाद से अधिकतम छ: माह के अन्दर आपराधिक कृत्यों हेतु दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की शासकीय स्वीकृति शासन व उसके सम्बन्धित विभागों द्वारा अवश्य निर्गत कर दी जाय। सभी प्रशासकीय विभागों तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इस हेतु वे परस्पर तालमेल व सक्रियता पर बल दें ।

उपर्युक्त समय-सीमा का कड़ाई से परिपालन किया जाना अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य है।

भवदीय,

मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव,
गृह एवं गोपन ।

....2/=

संख्या- 2764§1§/25-8-95-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

§1§ समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

§2§ समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।

§3§ समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

§4§ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

§5§ समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।

§6§ शासन के समस्त निगमों के अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक।

§7§ राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ ।

§8§ पुलिस अपर महानिदेशक,अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसन्धान संगठन, उ0प्र0, पंचम तल, इन्दिरा भवन,लखनऊ ।

§9§ पुलिस उप महानिरीक्षक, ई0ओ0डब्लू0,उ0प्र0,लखनऊ ।

आज्ञा से,

Amlu 15/12/95

§ कृष्ण गोपाल §

उप सचिव।